न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/86/2023 प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक 16.08.2023

उनवान

1. भूरालाल पिता गोपाल जाति मेनारिया आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
2. नाथूलाल पिता हीरालाल जाति मेनारिया आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
3. ओम प्रकाश पिता नाथू लाल जाति मेनारिया आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
4. गंगाराम पिता भुरा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. देवीलाल पिता हीरा लाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
2. प्रतापी पत्नि हीरा लाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
3. कन्नी बाई पुत्री हीरालाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
4. शाखा प्रबन्धक एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
5. तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री यासूब अली —प्रार्थीगण
अधिवक्ता श्री मांगीलाल बैरवा —अप्रार्थी संख्या 1 से 3

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट0 :—

निर्णय दिनांकः 29.10.2025

—:निर्णयः—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट के तहत निम्न निवेदन के साथ प्रस्तुत किया कि यह कि प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात ग्राम करजाली पटवार हल्का करजाली के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल खाता संख्या 239 से दर्ज आराजी नं0 3481, 3482, 3483, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3733/3002 कुल किता 10 कुल रकबा 1.57 हैक्ट0 स्थित है। खाता संख्या 380 से दर्ज आराजी नम्बर 340, 3500, 3517, 3518, 359, 416 कुल किता 06 कुल रकबा 2.31 हैक्ट0 स्थित है।

यह कि प्रार्थीगण कृषि आराजीयात पर आने जाने हेतु आ0 संख्या 3380 जो डामर सडक है से होकर पूर्व दिशा की तरफ अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी नम्बर 3182 की दक्षिण दिशा की पाली से होकर हमारी खातेदारी आराजी संख्या 3498 में प्रवेश करते है आराजी नम्बर 3739/3182 के उत्तर दिशा में तथा आराजी संख्या 3182 के दक्षिण दिशा दोनो आराजीयात के बीच की पाली से होकर हमारे बाप दादाओं के समय से विगत 50 वर्षो से आ जा रहे है। उक्त रास्ते पर ग्रेवल सडक पडी हुई है जिससे होकर हम प्रार्थीगण खाली भरी बैलगाडी, ट्रेक्टर, हल बैरोक टोक लाते ले जाते आ रहे है। उक्त रास्ता 20 फीट चौडा होकर ग्रेवल डाल रखा है जो करीब 50 वर्ष पुराना है।

यह कि दिनांक 20/05/2023 को अप्रार्थी संख्या 1 देवीलाल पिता हीरा के द्वारा आराजी नम्बर 3182 के पश्चिम दिशा की तरफ सडक की ओर स्थित हमारी आराजीयात पर आने जाने वाले रास्ते को बबुल की छडीये व कांटे डालकर तथा पूर्वी दिशा में हम प्रार्थीगण के आ0नं0 3498 की सीमा पर जेसीबी से खड्डा खोदकर डोल डालकर बन्द कर दिया है और लडाई झगडा किया तथा आराजी संख्या 3739/3182 किस्म बिलानाम पर भी कब्जा कर लिया जिससे हमारी आराजीयात पर आने जाने हेतु रास्ते का कोई विकल्प नही रहा प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की हकाई बुवाई नही कर सके प्रार्थी की आजीविका कृषि पर निर्भर है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौड़गढ़

यह कि प्रार्थी संख्या 4 गंगाराम जी तथा अन्य कई खातेदार की कृषि आराजीयात पर आने जाने हेतु रास्ता भी इसी आराजीयात से होकर जाता है।

यह कि बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 20.05.2023 पैदा हुई पुनः दिनांक 05.08.2023 को गांव के मोतबिरानों द्वारा समझाईश की तो अप्रार्थी संख्या 1 नहीं माना जिस कारण बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 05.08.2023 को पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने हेतु रास्ता आ0नं0 3182 के दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व की और से 20 फीट चौडा रास्ता कायम करने का आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से. 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल बैरवा का अधिकार पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। व जवाब प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है–

1. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 में प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी होना स्वीकार है बाकी के तथ्य अस्वीकार है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में लिखित तथ्य अस्वीकार है। आ0नं0 3380 में कोई डामर सडक नहीं है तथा अप्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आ0सं0 3182 की दक्षिण दिशा की पाली पर होकर के प्रार्थी की आ0सं0 3498 में कोई रास्ता प्रवेश नही करता बल्कि अप्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3182, 3739/3182, 3183 में कभी भी नया पुराना रास्ता प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने हेतु नहीं है तथा अप्रार्थीगण की आराजी में होकर के खाली भरी बैलगाडी कभी भी नही आती जाती है बल्कि ग्राम करजाली से होकर के पुराना कदिमानी रास्ता, गाडी गडार रेकार्डेड रास्ता बना हुआ है उसी रास्ते से प्रार्थीगण अपनी आराजी पर आते जाते है तथा प्रार्थीगण द्वारा आ0सं0 3199 में होते हुए अप्रार्थीगण की खातेदारी नं0 3192 में होकर के प्रार्थीगण की आ0सं0 3184 में प्रवेश करते है तथा उसके आगे प्रार्थीगण की दीगर आराजीयात 3498, 3496, 3497, 3494 है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी पर आते जाते है व प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने जाने हेतु दुसरा रास्ता ग्रेवल सडक से आ0सं0 3467 से होकर के 3473, 3472 में प्रार्थीगण प्रवेश करते है इस प्रकार जब प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने, खाली भरी बैलगाडी लाने ले जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात के दोनो तरफ उपलब्ध है तो प्रार्थीगण की आराजी के लिए विपक्षी का आराजी से और नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है तथा अप्रार्थीगण की आराजी में कोई 50 वर्ष पुराना रास्ता उपलब्ध नही है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3 में लिखीत तथ्य अस्वीकार है दिनांक 20.09.2023 को अप्रार्थी देवीलाल के द्वारा बबुल की छडी डालकर के और जेसीबी मशीन लगाकर डोल डाल कर रास्ता बन्द करने वाले तथ्य अस्वीकार है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 4 में लिखीत तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी संख्या 4 गंगाराम की कृषि आराजी पर आने जाने वाली भरी खाली बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 5 कानूनी होने से न्यायालय के विवेकाधिकार का है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र कॉलम संख्या 6 में लिखित तथ्य अस्वीकार है। दिनांक 20.05.2023 को कोई वाद हेतुक पैदा नही हुआ तथा दिनांक 05.08.2023 को समझौता हेतु कोई वार्ता नही हुई।
7. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 7 में लिखित तथ्य अस्वीकार है रास्ता प्रार्थीगण की कृषि आराजी पर आने जाने हेतु दोनो तरफ वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है।
8. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 8 में लिखित तथ्य अस्वीकार है।
9. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 9 में लिखित तथ्य अस्वीकार है।
10. प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 10 में जवाब प्रार्थना पत्र की ताईद में अप्रार्थी का शपथ पत्र पेश है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार कपासन से मौका रिपोर्ट दिनांक 10.01.2024 प्राप्त होकर दिनांक 23.01.2024 को शा0फा0 की गई। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जगांबदी)

   प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी निजी मौजा करजाली की आराजीयात पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

   तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चाहा गया मार्ग निकटतम है।

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

   नहीं।

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत राहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

   सहमति के प्रयास किये परन्तु सहमति नहीं बनी।

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

   लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित अनुसार

   आ0सं0 3182 में से रास्ते बाबत् भूमि का क्षेत्रफल 368 वर्ग मी0 (92 मी0 लम्बाई × 4 मी0 चौडाई) कुल प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 0.0368 हैक्ट0 है।
   कुल राशि डी0एल0सी0 दर 6216 रूपये प्रति आरी से 0.04 हैक्ट0 भूमि की राशि 24864/– रूपये का दुगुना 49728/– रूपये बनते है।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जो दिनांक 18.06.2024 से स्वीकार किया जाकर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार कपासन से प्राप्त नवीन रिपोर्ट दिनांक 17.12.2024 अनुसार पूर्व में प्रस्तावित रास्ता ही सुगम रास्ता है इसके अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस कर निवेदन किया कि

1. यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण गांव करजाली के निवासी है। दोनो ही आराजी संख्या 3380 पर रास्ता बना हुआ है। उससे ही अपनी आराजीयात पर आते जाते है। आराजी संख्या 3380 व आराजी संख्या 3462 पास पास है। परन्तु उसमें कोई रास्ता नही बना हुआ है। टाण्डी खेडा का जो रास्ता है वह बन्द होकर उपर आराजी नम्बर 3465 पर भी बन्द है इसके बाद आराजी संख्या 3464 पर रास्ता है।
2. यह कि आराजी संख्या 3380 के पास आराजी संख्या 3466 है जो अन्य खातेदारान की है प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात में जाने के लिये आराजी संख्या 3380 पर को रास्ता बना है परन्तु आराजी संख्या 3462, 3465, 3467 सरकारी होकर कोई रास्ता नही है। जिससे प्रार्थीगण नाथूलाल ओम प्रकाश की आराजीयात संख्या 3472, 3473 पर नहीं जाया जा सकता तथा उसके उपर प्रार्थीगण नाथूलाल, ओमप्रकाश, व तुलसीराम, नारायण, लक्ष्मी आदि की कई आराजीयात है।
3. यह कि प्रार्थीगण भूरालाल व गंगाराम गाडरी की आराजीयात अप्रार्थी की आराजी संख्या 3182 तथा प्रार्थी नाथूलाल की आराजी संख्या 3498 के मध्य रास्ते से ही प्रार्थीगण की नीचे वाली अन्य आराजीयात संख्या 3491, 3490 के उपर अपनी आराजीयात में आने जाने का अपने गांव से सबसे निकटतम व स्पष्ट रास्ता है।
4. यह कि प्रार्थीगण नाथूलाल, ओमप्रकाश की आराजी संख्या 3472, 3473 अपने गांव से दुर व कोई सरकारी रास्ता अथवा स्पष्ट रास्ता नहीं है ना ही प्रार्थीगण गंगाराम व भूरालाल की आराजीयात व प्रार्थीगण नाथूलाल, ओमप्रकाश के मध्य रास्ता नही है भूरालाल, गंगाराम की आराजीयात पर प्रार्थी नाथूलाल ओमप्रकाश की आराजी संख्या 3498 के उपर है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी आराजीयात पर जाने के लिये लम्बा व स्थाई रास्ता हेतु आदेशानुसार किमत नही चुका सकते। तथा प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते के अनुसार अप्रार्थी की आराजी संख्या 3182 में बने रास्ते के आदेशानुसार मालियत जमा करा सकता है तथा इस रास्ते के बाद प्रार्थीगण नाथूलाल, ओमप्रकाश की आराजी संख्या 3498 है जिसमें से होकर आगे की तरफ तथा उपर की तरफ प्रार्थीगण गंगाराम, व भूरालाल अपनी आराजी संख्या 3500, 3181, 3184, 3191 आदि पर आ जा सकते है।
5. यह कि उक्त अनवान में श्रीमान् के आदेश पर कमीश्नर रिपोर्ट में भी अप्रार्थी की आराजी संख्या 3182 में जो रास्ता दक्षिण दिशा 92 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा होकर कुल 368 वर्ग मीटर के हिसाब से

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

0.04 हैक्ट0 है और यह निकटतम रास्ता है इसके अलावा प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात पर जाने का और कोई निकटतम व सरकारी अथवा स्पष्ट रास्ते नही हैं। अप्रार्थी द्वारा बताई गई आराजी संख्या 3472, 3473 प्रवेश हेतु कोई स्पष्ट व निकटतम रास्ता नही है तथा यह गांव करजाली से दुर भी है अप्रार्थी द्वारा पुनः कमीशन के आदेश पर दुसरी कमिशन रिपोर्ट पर भी आराजी संख्या 3472, 3473 प्रवेश हेतु कोई स्पष्ट व निकटतम रास्ता नही है तथा यह गांव करजाली से दुर भी है। अप्रार्थी द्वारा पुनः कमिशन के आदेश पर दुसरी कमिशन रिपोर्ट पर भी आराजी संख्या 3472, 3473 पर प्रार्थीगण के जाने के लिये कोई स्पष्ट अथवा सरकारी रास्ता नहीं है। पूर्व प्रस्ताविक रास्ता ही प्रार्थीगण का निकटतम व सुलभ रास्ता है जिसे आदेशानुसार खरीद कर स्थाई रास्ता बनाया जा सकता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की आराजी में रास्ते के लिये आदेशानुसार रूपये जमा करने के लिये तैयार है इसी रास्ते पर प्रार्थीगण को आने जाने के लिये स्थाई रास्ता कायम कराने का आदेश प्रदान कराया जावें।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन करते हुए निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये–

1. 2014(1) RRT 40
   Umaram Vs Brijlal & Ors.
2. 2017(1) RRT 423
   Girdawari & Anr. Vs Sultan Ram & Ors.

हमने की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उक्त पत्रावली अवलोकन, उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा करजाली पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन के हल्के बैरुनी की खाता संख्या 239 से दर्ज आराजी नं0 3481, 3482, 3483, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3733/3002 कुल किता 10 कुल रकबा 1.57 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 380 से दर्ज आराजी नम्बर 340, 3500, 3517, 3518, 359, 416 कुल किता 06 कुल रकबा 2.31 हैक्ट0 स्थित है, पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 3182 से रास्ता चाह रहे है। तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः मौजा करजाली की आ0 सं0 3498 पर जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा करजाली पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में स्थित हाल आराजी न0 3498 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की मौजा करजाली की आ.न. 3182 है। जिससे रास्ते का प्रस्तावित रकबा आ0नं0 3182 में से 92मी0 × 4मी0 कुल क्षेत्रफल 0.0368 हैक्ट0 है जिसका दिनांक 10.01.2024 के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अनुसार कुल रकबा 0.0368 हैक्ट0 की डीएलसी दर 6216 प्रति आरी से कुल राशि 24864 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 49728/– रूपये अक्षरे उनचास हजार सात सौ अठाइस रूपये राशि जो कि अप्रार्थीगण को राजस्व रेकार्ड में हक हिस्से अनुसार देय है को जरिये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के नाम हक हिस्से अनुसार डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भीतर–भीतर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रा[illegible])
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी कपासन